राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

सोमवार,
24 फरवरी, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11·59 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा।

सचिव, राजस्थान विधान सभा : मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

गंगनहर को क्लोजर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

श्री नत्थीसिह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

अभी हमारे दो माननीय सदस्यों ने जो गंग नहर को पानी नहीं मिल रहा है, क्लोजर नहीं मिला, उससे जो भीषण परिस्थिति पैदा हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। सब से ज्यादा अनाज पैदा करने वाला हमारा जिला है, और मैं जानता हूं कि इस बात पर सारा सदन एकमत है कि यह समस्या जो हमारी है उसका अविलम्ब समाधान होना चाहिए। इस बात को लेकर माननीय प्रोफेसर केदारजी और श्री हेतरामजी बेनीवाल साहब यहां भूख-हड़ताल पर बैठे हैं। यह हम सब के लिए एक चिन्ता का विषय है। मैं आपके जरिए से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई दो सदस्यों का या किसी एक दल का प्रश्न न बनाकर सारे राजस्थान का, सारे सदन का प्रश्न बनावें और उसमें एक मत होकर पंजाब सरकार पर और केन्द्रीय सरकार पर यह दबाव डालें कि समस्या का तुरन्त समाधान हो। इसमें जैसा कोई कहते भी हैं कि कोई डेट भी तय हुई है, कुछ प्रगति हुई है। इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से इस तरह का मूव होना चाहिए कि सारा राजस्थान इसमें एक मत है और इन दोनों की लड़ाई न रह कर यह हम सब की लड़ाई बने और इनको हम फिर यहां पर बैठा कर इस समस्या के समाधान में प्रयत्नरत हों।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री जोशीजी ।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं श्री नत्थींसिंह जी ने जो प्रस्ताव विचारार्थ रखा है उसका समर्थन करता हूं । प्रोफेसर केदार हमारे वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं । मैंने पहले भी प्रार्थना की थी आपसे और अब फिर प्रार्थना करता हूं कि हम आपके साथ हैं । शासन भी ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि इतना बुजुर्ग व्यक्ति भूखा बैठा रहे । पर जैसा भी उपयुक्त हो, मेरे पास में कोई फार्मूला नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा कर लें । इन्होंने भी कोई सजेशन नहीं दिए हैं । अब आमरण अनशन एक ऐसा हथियार है जिसका बहुत सोच-समझकर उपयोग करना चाहिए मगर यहां सदन में जैसा कि दो माननीय सदस्य यह व्रत लेकर बैठे हैं । इनको भूखों बैठे देखकर चुप-चाप नहीं बैठ सकते हैं । इसलिए ऐसी कोई कोशिश की जानी चाहिए जिससे उसका समाधान हो और यह जिग्स है वह खत्म हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गंगानगर का क्षेत्र जो सिंचित क्षेत्र है और गंग कैनाल के कमाण्ड एरिया में है निश्चित तौर पर वह सूखता हुआ चला जा रहा है। कमाण्ड एरिया स्रींकेज होता हुआ चला उसका कारण यह है कि 1929 में जो गंग कैनाल बनी थी उसकी कैरिंग कैपेसिटी 2700 क्यूसेक थी और अब उसका रिडक्शन होकर 1700 क्यूसेक है और इसलिए इस गंग कैनाल की रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए लिंक कैनाल बनी है जिस पर 10 करोड़ रुपये से ऊपर राज्य सरकार का खर्चा हुआ है । आज गंगानगर से और संगरिया से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन के सम्मुख जो धरणा दिया है वह इस विषय को लेकर दिया है कि क्लोजर पर पंजाब की सरकार एग्री नहीं कर रही है ताकि लिंक कैनाल को जोड़ा जा सके । साइफन बन गया है । यह इन्टर स्टेट मैटर है, यह हरियाणा से सम्बन्ध रखता है कुछ हद तक, पंजाब से पूरा रखता है । पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न इसके ऊपर है । क्योंकि इसका समाधान इस सरकार के लिए और मुख्य मंत्रीजी के लिए आज यहां पर इसका सोल्यूशन निकालना सम्भव प्रतीत नहीं होता है । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी से जो इस सदन के नेता हैं कि जो माननीय सदस्य आज यहां पर हड़ताल पर बैठे हैं और आमरण अनशन की बात उन्होंने कही है । हम उनसे भी रिक्वैस्ट करना चाहते हैं और हमारा अनुरोध है कि आप इस पर पुनर्विचार करें । क्योंकि मुख्य मंत्री चाहते हुए भी इस मामले का सोल्यूशन आज नहीं निकाल सकते हैं, उसमें समय लग सकता है । मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह भी निवेदन है कि आप सभी पालिटिकल पार्टीज को कांफिडेंस में लेकर क्या प्रभावी कदम उठाये जा सकते हैं, के सम्बन्ध में आपको अपनी रणनीति तय करनी चाहिए । पंजाब में भी एक दो दिन में चुनिन्दा सरकार बनने वाली है, हरियाणा में भी आज चुनिन्दा सरकार है

(श्री परसराम मदेरणा)

और यहां पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है तथा भारत सरकार के इरिगेशन मिनिस्टर के पास पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के अन्दर इम्प्लीमेंटेशन करने की शक्ति है। इसका सोल्यूशन किसी तरह से जल्दी से जल्दी किया जाय। क्योंकि माननीय सदस्यों का एप्रिहैंशन भी सही है, क्योंकि क्लोजर का एक समय दिया गया है। रोपड़ के मामले में क्लोजर के मामले को लेकर राजस्थान ने ऐतराज किया था कि आप बहुत गलत टाइम पर दे रहे हैं, हमारी फसलें सूख जायेंगी क्लोजर देने की वजह से। बी.बी.एम.बी. को रेजोल्यूशन को वापस विथड्रा करना पड़ा था। अब अप्रैल माह ऐसा महीना आ रहा है, अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक का, जिस वक्त क्लोजर दिया जा सकता है। अगर क्लोजर पर्टीकुलर पीरियड में नहीं दिया गया तो उसके बाद में क्लोजर साल भर तक नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यह पीरियड जो है वह खास अहमियत रखने वाला है और इस वक्त सरकार को अपने पूरे प्रभाव का उपयोग कर क्लोजर के समय में कोई न कोई अन्तिम निर्णय भारत सरकार से और तीनों राज्य सरकारों के को-ऑपरेशन से लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत जो माननीय सदस्य अनशन पर बैठे हैं अनुरोध है कि इस विषय पर आप पुनर्विचार करें। अनशन से इस मामले का समाधान एक-दो दिन में नहीं होने वाला, इसमें समय लग सकता है।

डा. चन्द्रभान (झुन्झुनूं) : मुख्य मंत्रीजी आप जयललिता बनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : बिलकुल सही है। आप बंगरप्पा बन जायं।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के 10 लाख लोगों के जीवन का यह सवाल है, लिंक कैनाल बन चुकी है, 72 किलोमीटर का साइफन बन चुका है और फीडर रेगुलेट हैड बन चुका है सिर्फ क्लोजर देने वाली है। गंगानगर में 3–4 महीनों से लगातार हैजिटेशन चल रहा है, परन्तु सरकार ने इस केस को ठीक से परश्यू नहीं किया है। पिछली जो मीटिंग दिल्ली में हुई और भारत सरकार के सिंचाई मंत्री का बीकानेर में जो स्टेटमेंट था वह टोटली गंग कैनाल लिंक चैनल के सम्बन्ध में एन्टी था। इस तरह के जब वक्तव्य आते हैं तो गंगानगर के लोगों में निराशा पैदा होती है। गंग कैनाल लिंक चैनल पर 22 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, वह जुड़ पायेगी या नहीं जुड़ पायेगी। सवाल सिर्फ 10 दिन के क्लोजर का है। हमारी एस्टिमेट कमेटी वहां पर गई थी, मौका मुआयना करने। चीफ इंजीनियर और सारे अधिकारीगण वहां पर मौजूद थे। उन सब का यह कहना था कि 10 दिन का गंग कैनाल का क्लोजर मिल जाय तो हम इस लिंक चैनल को जोड़ देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता, प्रोफेसर केदार और संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य श्री हेतराम जी बेनीवाल भूख-हड़ताल पर इसलिए बैठे

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

हैं कि गंगानगर की जनता बहुत परेशान है। 10-10 बीघा मुरब्बे में 1–1 क्विंटल जब नरमा हो तो वहां के किसान क्या करें, घर से पैसे देकर कितने दिन तक खेती चलाये। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भारत सरकार को परश्यू करे, क्लोजर करवाए और इस लिंक कैनाल को जोड़ने का काम करे तथा माननीय सदस्यों को एक आश्वासन दिया जाय कि लिंक चैनल जल्दी से जल्दी जोड़ दी जायेगी। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामस्वरूप (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी गंगानगर जिले से हूं इसलिए माननीय सदस्य जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस विषय में काफी प्रयास कर रहे हैं, पंजाब के गवर्नर से भी बात की है, सेन्टर से बात की है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुनिए जरा, वह भी गंगानगर जिले के हैं।

श्री रामस्वरूप : प्रयास तेज किए हैं। माननीय सदस्य जो यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वह यहां पर धरणा न दें। इस विषय में और धरणा देना है तो आप और हम दिल्ली में दें। मुख्य मंत्रीजी प्रयास करें।

श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को तुरन्त इस सम्बन्ध में हल निकालना चाहिए केन्द्रीय सरकार से बात करके वरना वहां का किसान तबाह हो जायेगा।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : अध्यक्ष जी, यह वाजिब मांग है मैं भी इसका समर्थन करती हूं। इनको आश्वासन देकर इस मांग को मानना चाहिए और मुख्य मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि प्रोफेसर केदार और माननीय सदस्य श्री हेतराम जी इस सदन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस विषय के ऊपर उन्होंने इस प्रकार का विरोध प्रकट किया है उसके सम्बन्ध में मैं समय-समय पर प्रोफेसर केदार को जानकारी देता हूं। राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किए गए, भारत सरकार ने क्या प्रयत्न किए उसकी पूरी जानकारी मैंने उनको दी है। साथ ही जब भी गंगानगर जिले में एजिटेशन हुए हैं उसका लाभ उठाकर भी मैंने प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अब यह कहना कि मैंने प्रयास नहीं किए, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जितनी भी पत्रावलियां हैं उनका कोई भी माननीय सदस्य यदि निष्पक्ष भाव से अवलोकन करेंगे तो लगातार मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं....

श्री हीरालाल इन्दौरा : बोल्डनैस तो दिखाई नहीं कभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ठहर जाइये अभी, बोल्डनैस तो अब मैं बताऊंगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इस सारे प्रकरण पर इतना एजिटेशन चल रहा है तो कभी आपने कोई स्टेटमेन्ट दिया क्या ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनो तो सही। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखरजी को पत्र लिखा, उनसे बातचीत हुई और उनकी उपस्थिति में गवर्नर को बुलाकर सारी बात उनके सामने रखी गई। पंजाब में एक नया विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया। पंजाब की सरकार यह चाहती है कि 1984 का एग्रीमेन्ट जब तक खतम नहीं किया जायेगा तब तक हम यह क्लोजर नहीं, फिर वहां के गवर्नर को बुलाया प्रधान मंत्रीजी ने और उनको कहा कि इन दोनों का सम्बन्ध क्या है ? वह समझौता हरियाणा पंजाब और राजस्थान के बीच में है और इस क्लोजर का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। लेकिन लगातार तीन महीने तक गवर्नर इस बात का आग्रह करते रहे कि 1984 का एग्रीमेन्ट किसी भी प्रकार से एन्यूल किया जाए उसके बाद में हम बात करेंगे। गंगानगर जिले में जिस समय एजिटेशन चला....

श्री परसराम मदेरणा : टैररिस्ट भी यही कह रहे हैं कि इसको रिसाइण्ड किया जाए। टैररिस्ट का स्टेटमेन्ट आया है उनके आर्गेनाइजेशन का मैंने अखबार में पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा उनसे इतना सम्पर्क नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उनसे सम्पर्क तो आपका नहीं है, आपका स्वयं का सम्पर्क नहीं है आपका लिंक तो है ना। कुछ इन डाइरेक्टली हो सकता है लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि यह स्टेटमेन्ट टैररिस्ट का भी कई दफा आया है कि इसे रिसाइण्ड किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ऐसी स्थिति में मैंने जिस समय गंगानगर में एजिटेशन हुआ और माननीय सदस्यों ने कहा कि हम राजस्थान की सीमा पार कर जहां लिंक कैनाल को जोड़ना है उस जगह जाकर हम हाथों से क्लोजर लायेंगे और लिंक कैनाल को जोड़ देंगे। मैंने उस समय भी प्रधान मंत्रीजी को टेलेक्स मैसेज दिया है आप चाहे तो मैं उसको पढ़कर सुना सकता हूं उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

"Shri P. V. Nar Singh Rao, Prime Minister, New Delhi—Kindly refer to my D. O. letter number... .... regarding 15 days' closure of Sarhind Feeder for connecting of Gang Canal Link & Channel with Sarhind Feeder and Rajasthan Feeder. Rajasthan has been persuing for this closure issue for the last one year. The Link Canal has been constructed by Rajasthan at a cost of more than 20 crores. Punjab is unnecessarily linking canal closure

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

issue with the 1984 agreement which is totally unrelated. Denial of the closure is resulting in the substantial shortage of irrigation supplies and consequent crop damage of the farmer. An alarming situation has been created in the broder district of Ganagnagar. Public agitation is going on for the last two months to get the closure of the canal. In spite of the requests of the State Government and advice of the Central Government सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भी एडवाइस किया था पंजाब को। and even directions issued by the Prime Minister's Office, the Punjab Government is delaying the issue. Non-maintenance of canal for the last 65 years has reduced the water carrying capacity of canal from 2,700 cusecs to 2,000 cusecs. Further non-maintence may lead to widespread breaches of the canal causing floods and inundation of large scale areas Today about 3,000 agrieulturists have crossed the Rajasthan broder into Haryana to physically cause breach in the canal for diversion of water. Law and order situation is likely to worsen in Rajasthan as well as in Haryana. Your immediate intervention is solicited Kindly advise the Punjab Government to allow two weeks closure at the earliest." यह मैंने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया।

श्री प्रेम सिंह दहिया : यह किस तारीख का है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तारीख मैं बता दूंगा आपको। यह आपका जो एजिटेशन हुआ था वह तारीख है, तारीख मैं बता दूंगा तारीख कोई छिपाने की बात नहीं है लेकिन जिस समय हरियाणा में गए थे उस दिन का ही टेलेक्स मैसेज था। यह टेलेक्स मैसेज देने के बाद मैं प्रधान मंत्री जी से स्वयं मिला और मिलकर कहा कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की जिस प्रकार की स्थिति है यदि उसमें किसी भी प्रकार से लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो पंजाब के लिए भी अच्छा नहीं है और कण्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है और उस स्थिति को कण्ट्रोल करने के लिए आप पंजाब के गवर्नर के ऊपर दबाव डालिए जिसके कारण से जल्दी से जल्दी क्लोजर मिल जाए। प्रधान मंत्री के इन आदेशों के कारण अभी एक मीटिंग हुई थी 7.2.1992 को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी उसकी तारीख तो नहीं बताई आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता देंगे। तारीख कोई मोटी बात नहीं है। 7-2-1992 को प्रधान मंत्री के आदेश पर केबिनेट सैक्रेट्री ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में नरेश चन्द्र केबिनेट सेक्रेट्री थे,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एम. ए चितले सैक्रेट्री मिनिस्ट्री आफ पावर रिसोर्सेज, जे पी. सिंह स्पेशल सेक्रेट्री डिपार्टमेंट आफ पावर, टी. एन. आर. राव एडीशनल सेक्रेट्री के केबिनेट सेक्रेट्री, तेजेन्द्र कुमार खन्ना चीफ सेक्रेट्री गवर्नमेंट आफ पंजाब, वी एस. ओझा चीफ सेक्रेट्री, गवर्नमेंट आफ पंजाब, टी. वी. रमणन चीफ सेक्रेट्री गवर्नमेंट आफ राजस्थान और भी कई थे। उसमें लम्बी चौड़ी मिनिट्स पढ़कर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं रिलेवेन्ट बात कहूंगा।

"after discussion, the following conclusion were arrived at :

(i) The most appropriate time for the closure of Sarhind Feeder at its headworks would be between 20th March to 20th April during which period the link channel between the Indira Gandhi Canal and the Gang Canal can be completed The Schedule of closure and requisite notification etc. may be kept ready for approval and appropriate action as soon as the newly elected Goverment of Panjab assumes office."

अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि 20 मार्च और 20 अप्रेल के बीच का समय उन्होंने निश्चित किया। यह सही है कि पंजाब में चुनाव हुए हैं। यह भी सही है कि पंजाब में नई सरकार का आज या कल में गठन होगा और उस सरकार के ऊपर सरकार को भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया के एक प्रकार से डाइरेक्शन हैं कि 20 मार्च और 20 अप्रेल का एप्रोप्रिएट टाइम है जिसके अन्दर यह क्लोजर दिया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग धरना दें आपकी खुशी की बात है लेकिन इसके रिपरकशन्स क्या होते हैं इस पर भी आप विचार करके चलें। मैं इस मामले को निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं। यही मामला पंजाब में कहीं एजिटेशन का कारण बन गया तो न मेरे हाथ में बात रहने वाली है न भारत सरकार के हाथ में बात रहने वाली है। मैं इतना कह सकता हूं कि भारत सरकार ने इस मामले में जितना सहयोग किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जिस समय भी बात कही है उन्होंने उसी समय इनिशिएट लेने की कोशिश की है। जिस समय मैंने बात की उसी समय ही उन्होंने गवर्नर को बुलाया, सारी बात चीत की। प्राइम मिनिस्टर ने पूरा इन्ट्रेस्ट लिया है। लेकिन इन्ट्रेस्ट लेने के बाद में भी आज प्रधान मंत्री केदार जी हो या हेतराम जी हों और पंजाब में इस प्रकार की स्थिति हो तो पंजाब में इस समस्या का समाधान एक झटके से दें इसकी सम्भावना नहीं है। आखिर लोगों को तैयार करना पड़ेगा, मानसिक दृष्टि से तैयार करना पड़ेगा। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वह उठ जाएं वरना उनके बैठने का लाभ पंजाब के टैरेरिस्ट उठाएंगे। वह एक इश्यु पंजाब में न बन जाए इस बात के लिए कि जबरदस्ती हमारा पानी ले रहे हैं पंजाब में...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने हाउस में कहकर उनको जरूर एनकरेज कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं वह बता रहा हूं ना, मेरे कहने से तो मेरे वर्ड्स आप एक्सपंज करा दीजिए मुझे उनकी चिन्ता नहीं है लेकिन मेरी फीलिंग है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : वह तो एक्सपंज होने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्सपंज नहीं होंगे।

डा. चन्द्रभान : इन लोगों ने गंगानगर के किसानों की समस्याओं को लेकर आन्दोलन किया पानी के सवाल को लेकर इन्होंने कोई अपराध कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कभी नहीं कहा।

डा. चन्द्रभान : नहीं आप कह रहे हैं कि पंजाब में इसके रिएक्शन में, यदि चैनल रिएक्शन होकर के वहां भी कोई आन्दोलन खड़ा हो जाएगा यदि हम पंजाब के डर से यहां अपने सवाल को नहीं उठाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कभी नहीं कहता लेकिन लोग आज की स्थिति का कोई लाभ न उठा लें इसकी चिन्ता इस सदन को करनी चाहिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मुख्य मंत्रीजी आपने जो बात कही है वह टेरेरिस्ट के बिहाफ पर कही है क्योंकि आन्दोलन करेंगे। आप उनसे बात करके आये हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, माननीय परसरामजी ने कहा कि सबको मिल कर हल निकालना चाहिए, सारी कार्यवाही को, सदन में क्या करना चाहिए इसके सम्बन्ध में सदन की कमेटी बना दें और माननीय जोशी जी कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूं इसमें मेरी कोई राजस्थान की या भैरोंसिंह की प्रतिष्ठा नहीं है। राजस्थान के किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। यह सदन जिस प्रकार से चाहे, राजस्थान गवर्नमेंट को क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं करने को तैयार हूं। मैं यह आश्वासन देता हूं कि मेरे दिमाग में किसी प्रकार का इसमें टेन्शन नहीं है और इसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रोफेसर साहब से कि वह इसको इस तरह का इश्यु न बनायें जिस इश्यु का हल निकालना बाद में कठिन हो जाये। आप और मैं दोनों कोशिश करेंगे आप चाहें तो प्रधानमंत्री जी से मैं टाइम ले लेता हूं। जोशी जी चलें, आप दोनों चलें और भी सदन के माननीय सदस्य चल सकते हैं और चलकर इस प्रकार की बात उनको कह सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझता हूं माननीय सदस्यों और आपके बीच में कोई कम्यूनिकेशन गैप है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं कि जोशी जी से रोज बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होती है। यदि कम्युनिकेशन गेप है तब तो मैंने सदन में सारे कम्युनिकेशन गेप को बिल्कुल साफ कर दिया उसके बाद में तो इनको उठ जाना चाहिए। इसलिए मैं दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं के मैं विपरीत नहीं हूं, आपकी भावनाओं के पक्ष में हूं। हम सब मिलकर गंगानगर के किसानों की समस्याओं का समाधान करें। आपको भी चिन्ता है और मुझे भी चिन्ता है। आप चाहें तो आज की सदन की कार्यवाही और आप जो अनशन करके बैठे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नर साहब से भी लिखवाऊं और मैं स्वयं भी भारत सरकार को अभी इसकी सूचना देऊंगा। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को फिर निवेदन करना चाहूंगा कि प्रो. केदार वह तो भूख हड़ताल के बहुत मुश्किल है लेकिन हेतराम जी को उन्होंने साथ में बैठा लिया इसका मुझे थोड़ा डर लगता है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठ कर विधान सभा की कार्यवाही में भाग लें और यदि वह चाहें तो कल परसों विधान सभा में सारी स्थिति को रखते हुए एक मांग भारत सरकार से विधान सभा की तरफ से करवा दी जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी, मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद जो स्ट्रेटेजी राजस्थान सरकार को रिजोर्ट करनी चाहिए वह दो है डिप्लोमेटिक एण्ड प्रेशर यह स्ट्रेटेजी जो की जाती है जैसा कि वक्तव्य दिया इण्टर स्टेट डिस्प्यूट मेटर है, भारत सरकार इसके बीच में है निश्चित तौर पर दोनों ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए हम यह नहीं कहते कि इस मसले को जैसे आप निकलवाना चाहते हैं डिप्लोमेटिकली निकलवाने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो आपने जैसा कहा वहां पर भी कुछ रियेक्शन हो सकता है, रियेक्शन राजस्थान में भी हो सकता है। आज साढ़े तीन हजार है जो कल सात हजार हो जायेंगे तो फिर इसमें जो भी कदम पालिटिकल पार्टीज को विश्वास में लेकर करना है तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। दोनों ही माननीय सदस्य जो सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं वह आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मैं आपके मार्फत उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपने स्थान पर, अपनी सीट पर विराजें। जहां तक इसका प्रश्न है पूरे सदन की एक राय है कि यह लिंक का जोडना जल्दी से जल्दी और जो शिडयूल्ड पीरियड है वह पूरा हो और इसके लिए कोई प्रयास माननीय सदस्य बाकी न रखें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा होगा आधा घण्टे के लिए या 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही तो वैसे ही एडजोर्न हो जायेगी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जिस ढंग से सदन चल रहा है मैं समझता हूं परम्परा के अनुसार आपको 15 मिनट या आधे घण्टे के लिए स्थगित कर देना चाहिए अच्छा यही होगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये मैंने आपको सुन लिया है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस तरह सदन का चलना सम्भव नहीं है मेरा निवेदन है कि आधा घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित करें। (व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्यों के आग्रह पर श्री केदारनाथ एवं श्री हेतराम बेनीवाल ने अपना अनशन समाप्त किया।)

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा श्री केदारनाथ एवं श्री हेतराम बेनीवाल को सम्मानपूर्वक ले जा कर उनकी सीट पर बैठाया गया)

श्री अध्यक्ष : सचिव, राजस्थान विधान सभा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

सचिव, राजस्थान विधान सभा : महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :–

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

(2) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

(3) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

(4) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991

(5) राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991

(6) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1991

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश, श्री दिग्विजय सिंह।

अध्यादेश

श्री दिग्विजय सिंह (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–13) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज वर्मा, सहकारी मंत्री।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–9) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा, देवस्थान मंत्री।

श्री रामकिशोर मीणा (देवस्थान मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं।

(अ) श्री सांवलियाजी मदिर अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या-10)

(आ) नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या-12)

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–11) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : परिशोधित पाठ, श्री शान्तिलाल चपलोत।

अधिनियम का परिशोधित पाठ

श्री शांतिलाल चपलोत (विधि राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्यभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत राजस्थान ग्राम दान अधिनियम, 1971 का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : श्री हरलालसिंह खर्रा।

श्री हरलालसिंह खर्रा (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज.) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) एल. जे./आर. डी. पी./87/86 दिनांक 25 फरवरी, 1988 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1987 में संशोधन किये गये हैं :

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) एल. जे./आर. डी. पी./87/88 दिनांक 25 जनवरी, 1988 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) विधि/ग्रा. वि. पं./91/484 दिनांक 22 फरवरी, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1995 में संशोधन किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (3) विधि/आर. डी. पी./90/1707 दिनांक 5 जुलाई, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (4) एल. एण्ड जे./ग्रा. वि. प./4925 दिनांक

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

4 दिसम्बर, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) एल. एण्ड जे./आर. डी. पी 5928 दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 जिसके द्वारा निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत उसके पदाभिमान से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) एल. एण्ड जे./आर. डी. पी /91/5929 दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों को पंचायतों के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, एवं

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) एल. एण्ड जे./आर. डी. पी./91/622 दिनांक 14 फरवरी, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री दिग्विजय सिंह, परिवहन मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री दिग्विजय सिंह (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण विश्नोई, ऊर्जा मंत्री।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपका व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय, आप बैठिये। हां, आप बोलिये।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि विद्युत सहकारी समिति राजस्थान में कतई फैल हुई है और उनके लिए माननीय मंत्री महोदय ने पिछले सेशन में यह घोषणा की थी कि इनको भंग करेंगे। मगर उनको भंग नहीं करते हुए उनको प्रोलान करने की एक प्रक्रिया बनाई है और उसमें एक कमेटी बनाम उसको और भी ज्यादा आगे खींचना है। राजस्थान के जिन लोगों की यह सोसाइटी है, वहां इतना घोर अंधकार है कि बिजली का किसानों को किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं हो रहा है और खेती बरबाद हो रही है....

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। ये तो खाली आय-व्ययक ही रख रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : इसमें यह व्यवस्था दिलाई जावे है कि माननीय मंत्री जी सदन में कुछ बात कहें।

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं कह रहे हैं। आय-व्ययक रख रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : मैं इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि यहां जो ये घोषणा करें, उसकी पालना होती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री रामकरण सिंह : लेकिन कम से कम मुझे आश्वस्त तो कीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठिये।

श्री रामकरण सिंह : आप यह व्यवस्था दीजिये कि ये जो कुछ सदन में कहते है, वह सही होता है या नहीं होता है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : मैं बहुत नम्रता-पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं। यह मेरा सवाल नहीं है, यह आपका सवाल नहीं है। यह उन किसानों का है जो आप और हमारे लिये अनाज पैदा करके हमें देते हैं। अगर वे अनाज पैदा नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष : जब सदन में चर्चा होगी तब आप इस विषय पर बोलिये। अभी तो जरूरत नहीं हो रही है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय मंत्री जी इस पर हमें आश्वासन दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : किस बात पर ? कोई डिबेट नहीं हो रही है। मंत्री जी अभी कुछ बोल रहे हैं क्या ? मत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं ?

श्री रामकरण सिंह : आप इनसे कुछ कहलवा क्यों नहीं दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : अभी किसी विषय पर मंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। आप बैठिये। वे तो खाली आय-व्ययक रख रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : इस पर नहीं बोल रहे हैं। यह मसला क्यों नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता-पूर्वक आपसे कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी आपको इसीलिए नम्रता से कह रहा हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न मैं रद्द करता हूं। आप बिराज जाइये।

श्री रामनारायण बिश्नोई : (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं (विद्युत प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1991-92 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज वर्मा, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

गंग नहर को क्लोजर न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर विचार

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन के अन्दर हमने भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया था और इसमें सदन के दोनों ओर के पक्ष ने हमसे जो बात कही कि इस मामले में राजस्थान की विधान सभा, राजस्थान की सारी जनता, गंगानगर जिले के लोगों की जो समस्या है, उस पर एक साथ संघर्ष करेगी। क्योंकि हम दोनों यहां भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसका कारण सिर्फ हमारी व्यक्तिगत इच्छा या व्यक्तिगत कारण ही नहीं था। गंगानगर जिले में जो आन्दोलन चल रहा है सारी पार्टियों का, जिसमें पूरे राजस्थान की जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों के नेता उसमें शामिल हैं और पार्टी के नेता हजारों की संख्या में लोगों को लेकर आये हुए हैं। वे बसों में, 700–800 रुपये खर्च करके यहां कल से पहुंचे हुए हैं, हजारों लोग यहां आये हैं। इस तरह के निर्देश उनको एक्शन कमेटी ने दिये थे। हमारी मजबूरी यह है कि इस सदन के सदस्य होने के नाते आपकी भावनाओं का और आपने जो आदेश दिये हैं, वह भी, हमें शिरोधार्य हैं परन्तु जिन लोगों ने आन्दोलन को लड़ा है। आज जो बाहर बैठे हैं इस विधान सभा में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आटा-दाल भी यहां लेकर आये हैं, उनको भी यह उम्मीद है कि राजस्थान

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की विधान सभा ही नहीं, राजस्थान की जनता भी उनका साथ देगी और इस मसले को हल करायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर हम इस पर अमल करें तो आज की शुरूआत यह हो कि माननीय विपक्ष के नेता, माननीय सदन के नेता उन किसानों को भी सम्बोधन करें और उन किसानों से कहें जिससे हमारी समस्या भी हल होगी और राजस्थान की एकता भी महसूस होगी और गंगानगर जिले के लोगों को महसूस होगा कि राजस्थान पूरा का पूरा उनके साथ है। मैं समझता हूं मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता था मगर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हमारे यहां अनशन पर बैठने से पंजाब की पोलिटिकल लाइफ के कोई अनटूवर्ड रीपर्कशन्स होंगे। हमने इसका बहुत जाब्ता किया। मैं और मेरे साथी वहां पर माननीय टोहरा साहब से, माननीय बादल साहब से, बरनाला साहब से मिस्टर मान से बात की थी। मिलिटेन्ट्स से बात करने का कोई हमारा सवाल नहीं है लेकिन वहां के दिग्गज लीडर हैं उनको हमने कोंफिडेंस में लिया इस बात के लिए कि वह मसला हमारा है। आज से नहीं, काफी दिनों से पेंडिंग है, आप बताइये कि खुद चलकर के राज्यपाल महोदय ने कहा कि क्लोजर दे दिया जाये। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी आपके जो एप्रिहेंशन्स हैं कि हमारे यहां बैठने से वहां पर अनटुवर्ड रीपर्कशन्स होंगे, यह तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिये।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सोच है, ऐसी बात नहीं है। जब सारे कांस्टीट्यूशनल मीन्स एडॉप्ट कर लिए, जब हमने रास्ता रोका, रेलें रोकी गई, हरियाणा में 5 हजार आदमी मार्च करके गये तो फिर हमारे जैसे आदमी के लिए कौनसा रास्ता बचा? अगर हम लोग नहीं करते तो वो यह सोचते कि जो डिस्टेबलाइज कर रही हैं देश को वो ही मिलिटेंट आउटफिट्स जिनको वहां पर जगह नहीं मिली, वो वहां पर हावी हो जाती तो यह अच्छा नहीं है। मैं सोचता हूं कि सेन्ट्रल को स्टेट्स को और पंजाब की सरकार जो आज-कल में ही बन रही है तो मौका है हमारी स्ट्राइक का कि मिलिटेंट्स को कैसे खर्च करें। झगड़ा इस बात का है कि मिलिटेंट्स ने आज से कुछ साल पहले भांखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन का मर्डर कर दिया। उनकी सेहत जलती है। आज कई जगह कहते हैं कि 84 का एग्रीमेंट रद्द कर दो, कभी कहते हैं कि बीकानेर कैनाल जो नई बनेगी उसके स्थान पर हमारे यहां बना दो। ऐसी एक्स्ट्रानीअस रीज़ंस एण्ड कंडीसंस वे लेवी कर रहे हैं। कब तक सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेन्ट इसको बर्दाश्त करेगी? इसलिए माननीय अध्यक्षजी, जब हम लोग यहां बैठे तो हम आपकी बात मानकर सीट पर बैठ गये लेकिन बाहर लोग बैठे हैं, हमारे उठने से तो एक मखौल हो जायेगा कि बैठे किसलिये थे। जब तक हाउस एक रिज़ोलेशन पास नहीं करे, जो आपने

(16)

(श्री केदारनाथ शर्मा)

सेन्टीमेन्ट्स जाहिर किये, राजस्थान का इन्टरेस्ट हैं, इन्टर स्टेट मसलों की सेंटेटिटी का सवाल है और उसके साथ माननीय अध्यक्षजी, सिक्योरिटी का भी सवाल है। हमारे यहां का इलाका पंजाब और पाकिस्तान के बोर्डर पर है इसलिये उसका साइक्लोजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है और यह कोई पोलिटिकल विषय नहीं है और हमारे जैसा आदमी जो 75 वर्ष का है, फ्रीडम फाइटर है उसे आइन्दा चुनाव लड़ने का मोह नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा. इसलिये इसमें पोलिटिकल टोन्ज नहीं है एवं ना ही इसमें गिमिक्स हैं। इसलिये यह बहुत सिरियस मसला है, इस इलाके की जो तबाही आप देख रहे हैं उसके लिये इस रास्ते के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था जो सोचकर किया है। इसलिए सबकी भावना है कि एक रिजोलेशन पास हो और टाइम लिमिट हो जाय कि 5-10 दिन में सेन्ट्रल की एडवाइज हो जाय। क्लोजर का टाइम अप्रेल का है इसलिए किसी न किसी न किसी रिजोलेशन के मार्फत इस सारी भावना को चैनेलाइज किया जाय। और सेन्ट्रल तक पहुंचाया जाय। अच्छा हो माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय हरिदेवजी जो हमारे सीनियर मेम्बर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, 3 बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं यह सब इनके नॉलेज में हैं ये साथ लेकर प्राइम मिनिस्टर से बात करें। ग्रुप लीडर्स भी चले जाय और इसको थ्रस किया जाये तो कुछ फायदा हो वरना क्या कायदा? एजिटेशन चलता रहे, दूसरी फोर्सेज वहां पैदा हों तो मेरे ख्याल से फिर कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। इसलिये मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में माननीय हरिदेवजी व बाहर हमारे लोग बैठे हैं उनसे बैठकर बातचीत करिए। कोई रिजोलेशन असेम्बली का पास हो जाय कि हम इसको बड़ा सिरियस ले रहे हैं कि यह पेण्डिग है तो क्लोजर दिया जाय, हैड वर्क्स से जो जोइन्ट कन्ट्रोल हो, बीकानेर कैनाल को बनाया जाय। ये 2-3 मसले ऐसे हैं जो सारे स्टेट के इन्टरेस्ट से जुड़े हुए हैं, खुशहाली व सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई पोलिटिक्स आड़े नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो प्रोफेसर साहब और हेतरामजी ने कहा, उसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। मैंने स्पष्ट रूप से जो कुछ किया वो आपके सामने रख दिया। मैं समझता हूं कि, मेरी मान्यता है कि यह इतना सोफ्ट इश्यू है कि इस इश्यू पर हमारी किसी गतिविधि के कारण से कोई अवरोध पैदा नहीं हो जाय। वैसे तो बहुत लम्बा चौड़ा और जोशीला भाषण इस सदन में कई माननीय सदस्य दे सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं जो मामला अभी उठा है और माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उसके लिए जोशीजी और मैं दोनों बैठकर इसमें क्या कर सकते हैं उसमें आपको कोनफिडेंस में लेकर भारत सरकार से किस प्रकार मूव किया जाय, पंजाब सरकार को किस प्रकार से कहा जाय वो हम दोनों बैठकर तय कर लेंगे। इसको

(श्री भैरोंसिह् शेखावत)

इतना बड़ा इश्यू बनाकर हम मूव करना चाहेंगे तो मेरी एप्रीहेंस हैं, मैं प्रकट भी कर चुका हूं इसलिए ज्यादा उचित होगा हम दोनों बैठकर आपको कोनफिडेंस में लेकर या सदन के और गंगानगर जिले के सदस्य साथ में बैठना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्लोजर मिले इस बात की हम सब मिलकर कोशिश करें। अब सदन के प्रस्ताव का सवाल है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है सदन में कोई प्रस्ताव पास हो लेकिन आज जिस प्रकार की माननीय सदस्यों ने भावनाएं व्यक्त की हैं, सदन की कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं हो जो क्लोजर नहीं दिया जाय इस बात के पक्ष में हो। इन भावनाओं के आधार पर मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके जो कुछ भी करवा सकता हूं करवाने की कोशिश करूंगा।

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री पीरूरामजी का 29 जनवरी, 1992 को निधन हो गया। उसके लिए मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार को उनके दु:ख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, इस दृष्टि से भी भगवान से प्रार्थना करता हूं।

पीरूरामजी इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। कई सार्वजनिक पदों पर उन्होंने काम किया है और वह निरन्तर जनता की सेवा करने में लगे हुए थे। विधायक के रूप में उनका अच्छा कोन्ट्रीब्यूशन रहा है। मैं समझता हूं कि उनका देहावसान हम सबके लिए दु:ख का विषय है।

श्री भूरेलालजी बया राजस्थान के उच्च कोटि के स्वतन्त्रता सेनानी थे। स्वतन्त्रता सैनानी के रूप में उन्होंने सब प्रकार का त्याग किया है। स्वर्गीय हीरालालजी शास्त्री के मंत्रिमण्डल में वे सदस्य रहे हैं। राजनीति से निरन्तर उनका एक सम्बन्ध रहा है। राजस्थान के गरीबों की समस्याओं को लेकर और विशेषकर किसानों की समस्याओं को लेकर वे निरन्तर संघर्ष करते रहे। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार को उनका विछोह सहन करने की शक्ति मिले, इस दृष्टि से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, पीरूरामजी इस सदन के सदस्य रहे और हम में से प्रत्येक उनके सम्पर्क में आया है। वे बहुत अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे मित्र थे। अकस्मात् हार्ट अटैक से उनका देहावसान हो गया। यह उनके परिवार के लिए और उनके मित्रों एवं शुभचिंतकों के लिए एक प्रकार से शोकिंग इन्सीडेण्ट था। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भूरेलालजी बया राजस्थान के इने-गिने आदमियों में एक थे जो राजाशाही, जागीरदारी प्रथा और दूसरे प्रकार की परेशानियों से जूझने वाले आदमी थे। वे मेवाड़ राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष रहे और इसी प्रकार से राजस्थान के स्वतन्त्रता आन्दोलन के हरावल में जो

(श्री हरिदेव जोशी)

लोग देखे गये उनमें से एक भूरेलालजी थे। मैं समझता हूं यह एक व्यक्तिगत नुकसान है, उनके परिवार वालों के लिए तो है ही मगर जो होनी है वह तो होनी है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को आश्वस्त करता हूं, आशा करता हूं कि वे इस शोक को बर्दाश्त कर सकेंगे। बया साहब राजनीति में थे मगर राजनीति से परे भी थे। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग का काम शुरू किया और अन्त तक उसमें लगे रहे। यह एक बड़ी बात है। मैं एक बार पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नत्थी सिह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पीरूराम जी के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो उनके शोक-संतप्त परिवार को यह धैर्य और सामर्थ्य दें कि वे इस दुःख को सहन कर सके।

श्री भूरेलाल जी बया जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनानी थे और हमारे राजस्थान के पहले मंत्रिमण्डल के सदस्य भी थे और जिन्होंने, जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने बताया खादी जैसे रचनात्मक कार्यों में जिन्होंने सहयोग दिया, उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की क्षमता दें, ऐसी प्रार्थना करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, पीरूराम जी गंगानगर जिले के टी. बी. क्षेत्र से एम. एल. ए. रहे। और जिस तरह साधारण परिवार में रह कर एक छोटे से कार्यकर्ता होते हुए उस इलाके के लोगों से जो उनका सम्पर्क था, जिस तरह की भावनाएं उनकी रहीं अपने थोड़े समय से जिस तरह से वह रहे उस इलाके में, उनकी समस्याओं को हमेशा उठाया। सिर्फ यही नहीं, राजस्थान की विधान सभा में ध्यान दिलाया राज्य सरकार का, वह ही बात नहीं, उस क्षेत्र के लोगों के साथ मिल कर भी उन समस्याओं को हल करने में उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय दिया है। ऐसे साथी का बहुत छोटी उम्र में ही, 55-60 साल की उम्र में देहावसान हो गया। यह बहुत बड़ा नुकसान हमारे इस राजस्थान को हुआ है।

इसी तरह से दूसरे, जो राजस्थान के स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेता थे और उस पीढ़ी में से जन-प्रतिनिधि बने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया और उसके बाद लोगों का प्यार जीत कर वह राजस्थान की विधान सभा में आये। ऐसे बहुत कम लोग राजनीति में रह गये हैं। अब जो प्रतिनिधि बनते हैं उनके पीछे कई तरह की चीजें—पैसा, कुछ और बहुत सी बातें उन से जुड़ी रहती हैं और किसी राजनैतिक पार्टी का प्रभाव भी जुड़ कर उनको प्रतिनिधि बना देता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत चरित्र और खुद के त्याग-तपस्या से जन प्रतिनिधित्व हासिल किया और राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कुछ किया, राजस्थान हमेशा उनका आभारी रहेगा। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (नेता, जनता दल) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है और विपक्ष के नेता ने जो भावनाएं उसके अन्दर शामिल की हैं उसमें अपनी भावनाएँ जोड़ते हुए दो भूतपूर्व माननीय सदस्य, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके प्रति अपने दल की ओर से एवं अपनी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवारों को ईश्वर धैर्य प्रदान करे, इसकी कामना करता हूं।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्षजी, हमारे दो भूतपूर्व माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे। यह बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और राजनीतिज्ञ भी थे। मैं मेरे विचार माननीय सदन के नेता, विरोधी दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं में सम्मिलित करता हुआ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इतनी शक्ति दें कि उनकी क्षति और उनकी कमी वह महसूस ना करें और सहन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री पीरूराम तथा स्वतन्त्रता सैनानी एवं राजस्थान के पूर्व मन्त्री श्री भूरेलाल बया के प्रति जो शोक एवं संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से शरीक करता हूं।

श्री पीरूराम का जन्म हरियाणा के बहल ग्राम में 17 अगस्त, 1931 को हुआ। आपने राजकीय माध्यमिक शाला, नोहर जिला श्रीगंगानगर से मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

आप शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के प्रति निरन्तर प्रयत्नशील रहे। श्री पीरूराम सातवीं विधान सभा के लिए श्रीगंगानगर जिले के टीबी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1981 में आप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, श्रीगंगानगर के सदस्य तथा राजस्थान भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी रहे। आप राजस्थान नहर परियोजना, उपनिवेशन, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

आपका निधन 29 जनवरी, 1992 को हुआ।

प्रमुख स्वतन्त्रता सैनानी तथा राजस्थान के पूर्व मन्त्री श्री भूरेलाल बया का जन्म सन् 1904 में हुआ।

(श्री अध्यक्ष)

श्री बया का झुकाव शुरू से ही गांधीवादी विचारधारा की ओर रहा। वर्ष 1928 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में शामिल होकर आप स्वतन्त्रता संघर्ष की गतिविधियों से जुड़ गये। आपने वर्धा में "प्रताप सेवक मण्डल" की स्थापना की तथा आप अक्टूबर, 1939 में स्थापित "मेवाड़ चरखा संघ" के संयोजक भी रहे। मेवाड़ प्रजामण्डल के संस्थापक सदस्य रहे। श्री बया सन् 1941 में इसके उपाध्यक्ष बनाये गये। सन् 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में मेवाड़ प्रजामण्डल का सक्रिय योगदान रहा। श्री बया को इस आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार कर एक वर्ष पांच माह इक्कीस दिन जेल में रखा गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ समय पूर्व मेवाड़ के महाराणा के आदेश पर श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने मेवाड़ के लिए बनाये गये प्रस्तावित विधान को लागू करने की घोषणा की तब श्री बया ने प्रस्तावित विधान को जन विरोधी तथा मध्ययुगीन धार्मिक शक्तियों एवं सामन्तवाद का पोषक बताते हुए इसका विरोध किया। फलस्वरूप यह विधान लागू नहीं किया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राजस्थान का निर्माण होने पर अप्रेल, 1948 में श्री माणिक्यलाल वर्मा मन्त्रि-मण्डल में श्री बया जागीर तथा रसद विभाग के मंत्री बनाये गये। वर्तमान राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार में श्री हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमण्डल में आप 7 अप्रेल, 1949 से 5 जनवरी, 1951 तक यातायात, संचार एवं सार्वजनिक विभागों के मन्त्री रहे।

श्री भूरेलाल बया आज नहीं हैं, लेकिन उनका स्वाधीनता संग्राम में किया गया योगदान, विशेष रूप से मेवाड़ प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सदा याद रहेगा।

श्री बया का निधन 21 जनवरी, 1992 को हुआ।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवारजन को उनके विछोह को सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(माननीय सदस्यों द्वारा दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25 फरवरी, 199: को सुबह 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 12·57 बजे मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1992 के पूर्वान्ह 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

राजस्थान के राज्यपाल डा. मरि चन्ना रेड्डी का अभिभाषण

[श्री केदारनाथ एवं श्री हेतराम बेनीवाल द्वारा सदन में धरना]

माननीय सदस्यगण,

नवम् विधान सभा के छठे सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं व आपके माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

देश की संस्कृति और इतिहास में राजस्थान की अपनी गौरवशाली परम्परा रही है। जहां एक ओर हमारे वीरों की वीरता ने देश के इतिहास को महिमा मंडित किया है वहीं दूसरी ओर हमारे उद्योगपतियों ने देश की औद्योगिक प्रगति का अनोखा इतिहास रचा है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए भी प्रदेश के निवासियों ने अपनी परम्पराओं व आन की रक्षा की है। यहां की नारियों ने भी शौर्य एवं उत्सर्ग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्यपाल के रूप में यहां आकर मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। वीरता और बलिदान की परम्परा वाली वीर प्रसूता इस धरती को मैं नमन् करता हूं।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द का वातावरण रहा है। पुलिस द्वारा सजगता एवं सक्रियता से अपराधों की रोकथाम करने का प्रयास किया गया। उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई तथा उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। पुलिस बल के सुधार हेतु एक विशेष योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई। दो नई सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने का भी निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के फलस्वरूप लगभग 36 करोड़ रुपये की तस्करी की सामग्री पुलिस द्वारा पकड़ी गई। पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिये एक नई सामूहिक बीमा योजना लागू की गई।

पिछले दो वर्षों में सरकार ने प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन देने का विशेष प्रयास किया है। जनसामान्य के परिवादों को जल्दी से निपटाने की चेष्टा की है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु कारगर कार्यवाही की गई है। भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिये राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सुदृढ़ किया है। भागीरथ योजना के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने को प्रेरित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को मौके पर ही हल करने की चेष्टा की है। पिछले कई वर्षों में राज्य कार्य की जटिलता बढ़ी है। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था लक्ष्यपरक होने के स्थान

पर नियमपरक हो गई है। अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था वह है जिसमें लोगों को सरकार के पास कम जाना पड़े व जिसमें उनका काम आसानी से निपट जाये। इस उद्देश्य से अगले वर्ष सभी विभागों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करके उनको सरल करने हेतु आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

राज्य के विकास की समस्याओं से आप भलीभांति परिचित हैं। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सिंचाई सुविधाएं आदि सभी क्षेत्रों में हमारी गिनती देश के अंतिम चार-पांच राज्यों में की जाती है। पिछले वर्षों में आवर्तक व्यय व ऋण भुगतान के निरंतर बढ़ने से विकास के हमारे संसाधन कम होते गये इसके फलस्वरूप प्रतिव्यक्ति योजनागत विनियोग में प्रभावी वृद्धि नहीं हुई। 1966 के बाद दो वर्षों को छोड़कर राज्य में प्रतिव्यक्ति योजनागत विनियोग अन्य राज्यों के औसत विनियोग से कम रहा। इसके फलस्वरूप हम अपने पिछड़ेपन को दूर करने में असफल रहे। वर्तमान सरकार ने शासन में आने के बाद योजना नीति की समीक्षा करने तथा योजनागत विनियोग बढ़ाने का संकल्प लिया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने राजकीय खर्चों में कमी की है, राज्य की आय के साधन बढ़ाये हैं व योजनाओं के अमल में सुधार किया है 1990–91 में राज्य की वार्षिक योजना को 795 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 956 करोड़ रुपये किया गया तथा 1991–92 में वार्षिक योजना का आकार 1166 करोड़ रुपये रखा गया। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में राज्य की वार्षिक योजना में 46 प्रतिशत की रेकार्ड वृद्धि की गई। योजना आयोग ने अगले वर्ष के लिये 1400 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकार की है। इस प्रकार तीन वर्षों में वार्षिक योजना के आकार को 76 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। पिछले दो वर्षों की तरह इस वर्ष भी वार्षिक योजना के आकार में वृद्धि की दृष्टि से राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये यह शुभ संकेत है। इसके फलस्वरूप अब राज्य में योजनागत विनियोग राष्ट्रीय औसत के समकक्ष हो सकेगा।

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। पानी की कमी होने के कारण यहां कृषि प्रतिकूल परिस्थितियों में की जाती है। सरकार ने प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने का विशेष प्रयास किया है। एक ओर जहां कृषि क्षेत्र में किये जाने वाले विनियोग को बढ़ाया है वहीं दूसरी ओर संगठन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। जलग्रहण विकास निदेशालय तथा तिलम संघ का गठन किया है। तिलहन के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए सहकारी क्षेत्र में तिहलन उद्योग स्थापित किये हैं। फल विकास, बारानी खेती विकास, फव्वारा सिंचाई, नालियों के निर्माण, कुओं का बीमा, सामूहिक कूप निर्माण आदि कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं सरकार ने पिछले दो वर्षों में लागू की हैं। पिछले दो वर्षों में हमने तिहलन के उत्पादन में प्रति वर्ष नया रेकार्ड स्थापित किया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष भी हम पुनः

प्रदेश में तिहलन के 28 लाख टन उत्पादन का नया रेकार्ड स्थापित करेंगे। राज्य में पिछले तीन वर्षों में तिलहन का उत्पादन लगभग तिगुना बढ़ा है। तिलहन उत्पादन की नजर से अब राजस्थान की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी है।

इस वर्ष राज्य में मौनसून का आगमन देरी से हुआ तथा वापसी जल्दी हुई। राज्य में पिछले तीन वर्ष अच्छी वर्षा तथा अच्छे कृषि उत्पादन के वर्ष रहे हैं। इस वर्ष वर्षा की कमी से खरीफ में 118 लाख हेक्टेयर भूमि की बुआई के लक्ष्य की तुलना में 100 लाख हेक्टेयर भूमि में तथा रबी में 59 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि की बुआई के लक्ष्य की तुलना में 55 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि में बुआई की गई। वर्षा की कमी के बावजूद इस वर्ष 82 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। यह विचित्र संयोग है कि तिलहन उत्पादन के इस रेकार्ड वर्ष तथा खाद्यान्न के औसत उत्पादन के वर्ष में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अकाल की स्थिति बनी हुई है। अकाल का विशेष प्रभाव मरुस्थलीय बारानी क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों में है। सरकार ने अकाल के समस्या-प्रधान क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने, पशु संरक्षण तथा रोजगार देने के व्यापक प्रबन्ध किये हैं। अगले महीनों में इन प्रयासों को और बढ़ाया जायेगा।

नवें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य स्तर पर गठित प्राकृतिक विपदा कोष में भारत सरकार द्वारा सालाना सहायता केवल 93 करोड़ रुपये तक सीमित कर देने के फलस्वरूप हमारी अकाल राहत व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस पर पुनर्विचार करने तथा अधिक सहायता देने का अनुरोध किया है।

कृषि विकास हेतु अब तक किये गये प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिये अगले वर्ष से राज्य में विश्व बैंक की सहायता से 300 करोड़ रुपये की कृषि विकास, परियोजना लागू की जायेगी। इस परियोजना पर विश्व बैंक से वार्ता निर्णायक दौर में है और आशा है कि अगले चार महीनों में इस महती योजना की स्वीकृति मिल जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत फल विकास पशु नस्ल सुधार, मत्स्य विकास, क्षारीय एवं लवणीय भूमि विकास, तिलहन विकास, कृषि विश्वविद्यालय में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, भूजल सर्वेक्षण आदि कार्यों पर विनियोग किया जायेगा। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी होने के कारण किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने में कठिनाई आती है अतः इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु भी विशेष धनराशि प्रस्तावित की गई है।

पहले जिन्सों पर मंडी फीस बार-बार देनी पड़ती थी। उपभोक्ताओं को सुविधाएं देने कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने अब एक बिन्दु पर मण्डी फीस लेने का निर्णय लिया है। कृषि मंडियों के विकास के लिये नाबार्ड से विशेष सहायता लेने का प्रयास किया गया है। मण्डी फीस से प्राप्त आय का उपयोग अन्य कार्यों के साथ-साथ मण्डी क्षेत्र में

सड़कों के निर्माण के लिये किया जाता है। छोटी मंडियों में आय कम होने से ऐसी मंडियां अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण के कार्य नहीं करा पाती हैं, इसलिये आवश्यक है कि बड़ी मंडियों की आय का कुछ भाग छोटी मंडियों के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाये। इसके लिये बड़ी मंडियों की आय के निर्धारित अंश से "जिला मण्डी विकास कोष" की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस कोष में से छोटी मण्डियों को सड़क निर्माण के लिये अनुदान सहायता दी जा सकेगी। यदि आवश्यक हुआ तो चालू सत्र में ही इसके लिये एक विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

कृषि के दीर्घकालीन विकास के लिये "कृषि नीति" का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इसको चालू सत्र में माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य कृषि नीति पर अपने विचारों से सरकार को लाभान्वित करेंगे।

राज्य में पानी की कमी कृषि विकास में बाधक रही है। इस दृष्टि से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आवंटियों को भूमि का कब्जा देने तथा उन्हें बसाने के विशेष प्रयास किये गये हैं। इस परियोजना के प्रथम चरण में बचे हुए 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र में खाले बनाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना के द्वितीय चरण में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में भूमि के थोड़ा नीचे ही कठोर धरातल होने के कारण भविष्य में जलस्तर ऊंचा आने की सम्भावना को देखते हुए ऐसी भूमियों का खेती हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा। इन भूमियों का उपयोग फल विकास, वन विकास व चारा उगाने में किया जायेगा। चम्बल के कमान क्षेत्र में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से भूमिगत जल निकास की नालियों का कार्य कोटा व बूंदी जिलों में प्रायोगिक रूप से शुरू कराया गया है। प्रारंभिक अनुभव के आधार पर इस क्षेत्र के लिये जल विकास योजना बनाई जायेगी। सिंचाई के तालाबों के पानी के कुशलतम उपयोग के उद्देश्य से कृषि विभाग एवं सिंचाई विभाग के द्वारा किसानों के प्रशिक्षण, पानी की कम खपत वाली फसलों के उत्पादन आदि के लिये सामूहिक प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है।

सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिये सरकार ने ग्रामसेवा सहकारी समितियों, उपभोक्ता भंडारों तथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव करा दिये हैं। जिलास्तरीय तथा राज्यस्तरीय संस्थाओं के चुनाव भी अगले छः माह में करा दिये जायेंगे। सरकार का यह प्रयास है कि इन संस्थाओं का गैर राजनैतिक स्वरूप हो तथा सरकार की भावना के आधार पर इनका संचालन हो। इसके लिये कानून में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। सहकारी संस्थाओं के कुशल प्रबन्ध के लिये आवश्यक है कि कुशल व्यक्ति ही इनमें अधिशासी अधिकारी

व प्रबन्ध निदेशक या समकक्ष पदों पर लगाये जायें तथा उनकी कार्यविधि में स्थायित्व हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विशेष चयन नियम बनाये गये हैं। सहकारी संस्थाओं द्वारा व्यवसाय विकास योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है । प्रबन्ध सुधार के फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र में तिलम संघ राजफेड, कपास कताई मिलों व उपभोक्ता संघ के व्यावसायिक लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

पिछले वर्ष के 26 करोड़ रुपये के फसली ऋण की तुलना में किसानों को इस वर्ष 96 करोड़ रुपये के फसली ऋण सहकारी संस्थाओं ने उपलब्ध कराये हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि उपज खरीदने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । चालू वर्ष में तिलम संघ की झुंझुनू, मेड़ता व जालोर परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है । शेष परियोजनाएं भी अगले चार माह में चालू हो जायेंगी । इसके फलस्वरूप तिलम संघ द्वारा अगले वर्ष लगभग 160 करोड़ रुपये का तिलहन किसानों से खरीदा जायेगा । इसी प्रकार राजफेड द्वारा 40 करोड़ रुपये की कृषि जिन्सें खरीदी जायेंगी । राज्य में सरसों के कीर्तिमान उत्पादन की सम्भावनाओं को देखते हुए सरकार का प्रयास होगा कि तिलम संघ, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल, नाफ़ेड, राजफ़ेड आदि संस्थाओं के संम्मिलित प्रयासों के द्वारा सरसों की 250 करोड़ रुपये की विशेष खरीद की जाये ताकि सरसों के मूल्य में गिरावट न आये ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर सरकार योजना राशि की 60 प्रतिशत से भी अधिक राशि खर्च करती है । इन कार्यक्रमों का आंकलन भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि 1990-91 में 20-सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति में राजस्थान का देश में सर्वप्रथम स्थान रहा है। पिछले वर्ष जवाहर रोजगार योजना की क्रियान्विति में भी 131 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध 170 करोड़ रुपये व्यय करके तथा 506 लाख मानव दिवस सृजित करके राजस्थान ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया । जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा कर उसे अधिक जनोन्मुखी, उपयोगी तथा व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं । इन्दिरा आवास योजना में भी लाभान्वितों की आवश्यकता के अनुरूप मकान बनाने तथा आवास निर्माण में उनकी भागीदारी स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं । दिसम्बर तक 41 हजार आवासों का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है ।

अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से पंचायतों को 50,000 रुपये तक की लागत के कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार दिये गये हैं । पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की

स्वकृति; क्रियान्विति एवं मूल्यांकन सम्बन्धी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लोगों की भागीदारी से विकास हो इस दृष्टि से अपना काम व तीस जिले तीस काम सरीखी योजनाएं लागू की गई। इसके अच्छे परिणामों को देखते हुए सरकार सहभागिता की अवधारणा पर आधारित ग्रामीण विकास का और अधिक विस्तार करेगी। सरकार द्वारा सम्पादित कार्यों में जनता सहयोग करे इसके बजाय उचित यह है कि स्थानीय जनता द्वारा स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं द्वारा कार्य करायें जायें तथा सरकार उन्हें सहयोग दे। विकास कार्यक्रमों को इस दृष्टिकोण से परखा जाकर आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

कई क्षेत्रों में स्थानीय जनता अपने श्रम से सामूहिक तौर पर गांव की सम्पर्क सड़क व पुलियाओं का निर्माण करने को तत्पर है बशर्ते कि उन्हें निर्माण सामग्री तथा तकनीकी सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जावे। उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए राज्य कृषि विपणन मंडल ने सहभागी विकास योजना के अन्तर्गत उन्हें निर्माण हेतु डामर, सीमेंट व अन्य सामग्री व तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

अल्प व सीमान्त जोत वाले किसानों के लिये कृषि विकास के मेसिव कार्यक्रम की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा छोटे किसानों को सहायता दी जाती थी। वित्तीय साधनों की कमी के कारण भारत सरकार ने इस वर्ष से यह योजना बंद कर दी है लेकिन छोटे किसानों की विशेष समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को अपने बजट से चालू रखने का निर्णय लिया है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में दिसम्बर तक 22 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 70,000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। गरीबी उन्मूलन के इस कार्यक्रम की क्रियान्वित में सरकार ने चयन पात्रता, चयन प्रक्रिया, ऋण राशि, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं।

राजस्थान अपने पशुधन के लिये विख्यात है। पशु नस्ल सुधार के कार्य को गति देने के लिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को गोपाल योजना के माध्यम से पशु नस्ल सुधार कार्य से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ किया है। यह कार्यक्रम अभी तक 10 जिलों में ही लागू था अब इस कार्यक्रम का और विस्तार किया जावेगा ताकि न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन बढ़ें बल्कि आसानी से ग्रामीण जनता को पशु नस्ल सुधार के लिये सुविधा भी उपलब्ध हो सके। पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों में भी पशुओं के प्रजनन विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ द्वारा भी दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से यह कार्य कराया जा रहा है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के वार्षिक लक्ष्य को 1.80 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। मत्स्य विकास की दीर्घकालीन सम्भावनाओं को देखते हुए एक वर्ष के बजाय तीन वर्ष के

लिये जलाशयों की लीज देने की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य में मत्स्य बीज की कमी को देखते हुए निजी क्षत्र में मत्स्य बीज उत्पादन के लिये एक योजना बनाई गई है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से जनजाति क्षेत्र में साढ़े चार करोड़ रुपये की मत्स्य विकास योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है। भेड़ों की नस्ल सुधार का कार्य भी गांवों के चयनित समूहों में सघन रूप से कराया जा रहा है। ऊन के आयात से हमारे भेड़ पालकों की आय तथा भेड़ों की नस्ल सुधार कर बढ़िया ऊन का राज्य में ही उत्पादन करने के प्रयास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार को आयात नीति में परिवर्तन करने तथा भेड़ नस्ल सुधार हेतु विशेष सहायता देने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

प्रदेश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति से माननीय सदस्य परिचित हैं। किसानों को बिजली के कनेक्शन के लिये वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उद्योगों को भी बिजली पूरी नहीं मिल पाती। इस समस्या का निवारण करने के लिये राज्य सरकार ने प्रभावी प्रयास किये हैं। कोटा थर्मल पावर परियोजना में प्लान्ट लोड फेक्टर को 40 प्रतिशत से 63 प्रतिशत बढ़ाकर अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया गया है। इसी परियोजना की 210 मेघावाट की नई इकाई के कार्य को तेजी से कराया जा रहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अप्रेल, 1991 में विनियोग स्वीकृति मिलने के बाद बरसिहसर लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना का कार्य निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा चालू कर दिया गया है। इसी प्रकार नवम्बर, 91 में स्वीकृत सूरतगढ़ तापीय परियोजना का कार्य भी प्रारम्भिक तौर पर इस वर्ष चालू कर दिया गया है। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण के बाद राज्य में बिजली की उपलब्धि में काफी सुधार होगा। धौलपुर तापीय परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किये गये हैं। दिसम्बर, 1991 में भारत सरकार की एक उच्चस्तरीय समिति ने पुन: उन वैकल्पिक स्थलों का निरीक्षण किया जहां पर्यावरणीय कारणों से यह परियोजना बदलकर लगाई जानी है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इस योजना पर भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। चित्तौड़गढ़ जिले में निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेघावाट क्षमता का संयंत्र लगाने के लिए संभाव्यता प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस पर भी शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा। बिजली की कमी को देखते हुए उद्यमियों को स्वयं का पावर प्लान्ट लगाने के प्रतिबन्धों का शिथिलीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार में गैर परम्परागत ऊर्जा के साधनों के विकास तथा उपयोग के कार्य को भी बढ़ाया गया है। मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है।

राज्य में वन विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान सरकार की सहायता से वृक्षारोपण योजना

क्रियान्वित की जा रही है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में वन विकास के लिए भी जापान सरकार की सहायता से 176 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई है। डूंगरपुर जिले में स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वन विकास तथा वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के माध्यम से राज्य में चल रही वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों की परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मिलना सम्भावित है। तेंदू पत्ता संग्रहण एवं विपणन में आदिवासियों को विशेष लाभ देने के उद्देश्य से तेंदू पत्ता संग्रहण एवं विपणन का कार्य आदिवासियों की सहकारी समितियों को निर्धारित राशि पर देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश को हरा-भरा करने के उद्देश्य से हरित राजस्थान कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख हैक्टेयर भूमि में 9 करोड़ पौधे इस वर्ष लगाये गये हैं। भारत सरकार के आंकलन के अनुसार वृक्षारोपण की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य में जनता की भागीदारी स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामस्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है ताकि स्थानीय लोग वनों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले सकें। इन समितियों को अन्तिम विदोहन से प्राप्त होने वाली राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त लघु वन उपज, फल-फूल, घास आदि का लाभ भी समिति के सदस्यों को मिलेगा। राजस्व रिकार्ड में सही अंकन नहीं होने के फलस्वरूप कई स्थानों पर वन भूमि को राजस्व भूमि समझकर उसका आवंटन आदिवासियों तथा अन्य किसानों को कर दिया गया। ऐसी भूमियों के कब्जों को लेकर आवंटियों के खिलाफ जो मुकदमें चलाये गये थे, वे वापस ले लिये गये हैं तथा ऐसी भूमियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। कृषि वानिकी के अन्तर्गत लगाये गये वृक्षों को काटने व उनकी लकड़ी बेचने पर लगे प्रतिबन्धों का शिथिलीकरण किया गया है। अब सात वृक्ष प्रजातियों की लकड़ी को काटने तथा बेचने की छूट दे दी गई है। तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए मजदूरी को दुगना बढ़ाया गया। इससे आदिवासी श्रमिकों को 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त हुई।

संविधान निर्माताओं ने "वन" विषय को राज्य सूची में रखा था पर आपातकाल के दौरान इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया और इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया। इस अधिनियम के कारण वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है। वन भूमियों में नहर निकालने, बिजली के तार ले जाने, तालाब, सड़क निर्माण सरीखे जनोपयोगी कार्यों को भारत सरकार की अनुमति बिना नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार से अनुमति मिलना कठिन होने के कारण इन कार्यों के सम्पादन में विलम्ब होता है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस विषय को पुनः राज्य सूची में रखने हेतु

अनुरोध किया है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय में राज्य सरकार का मार्गदर्शन करें।

सरकार द्वारा बनाई गई नई औद्योगिक नीति के कारण प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। उद्यमियों को सहायता देने तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र हल ढूंढने के लिये सरकार ने उद्योग प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की है। उद्योग प्रोत्साहन के प्रयासों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी एवं अन्य उद्यमी राजस्थान की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। इस वर्ष नये उद्योगों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार हेतु भूमि अवाप्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। जयपुर में कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकास पार्क की स्थापना हेतु सिद्धांततः स्वीकृति दे दी गई है। रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। ख्यातिप्राप्त चयनित दस्तकारों को वृद्धावस्था पेन्शन देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में खादी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने के लिये 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। हस्तकरघा निगम द्वारा पश्चिमी राजस्थान में बुनकरों को प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। चालू वर्ष में आयोजित औद्योगिक शिविरों के फलस्वरूप राज्य में 1,850 करोड़ रुपये के 31 मध्यम व बड़े नये उद्योग लगने की सम्भावना है।

खनिज की दृष्टि से राजस्थान देश का महत्वपूर्ण राज्य है। अन्वेषण के फलस्वरूप जैसलमेर में स्टीलग्रेड लाइमस्टोन के 9 करोड़ टन के अधिकृत भण्डारों का पता लगा है। झालावाड़, नांदवेल, काया व केवरा क्षेत्रों में ताम्र धातु पाये जाने के संकेत हैं। लिग्नाइट के नये क्षेत्रों का भी पता लगाया जा रहा है। प्रदेश में घरेलू कार्यों व उद्योगों के लिए लिग्नाइट के खनन व उपयोग के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ताकि प्रदेश की तापीय ऊर्जा की पूर्ति यथा संभव राज्य में उपलब्ध लिग्नाइट कोयले से हो सके। अप्रधान खनिजों के लिये बने अनुदान नियमों का सरलीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप लम्बे समय से लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण सम्भव हो सका है।

रॉक फास्फेट राजस्थान का प्रमुख खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतया खाद बनाने में होता है। झालरकोटड़ा में उपलब्ध रॉक फास्फेट के संवर्धन के लिये 150 करोड़ रुपये की लागत के एक संयंत्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस योजना पर अब तक लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह संयंत्र देश में अपनी किस्म का पहला संयंत्र होगा। खनिज विकास निगम द्वारा जैसलमेर जिले में स्टीलग्रेड लाइमस्टोन का उत्पादन 5 लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन किये जाने की संभावना है।

महिलाओं का हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विकास कार्यक्रमों की संरचना महिलाओं के रुझान व आवश्यकताओं को देखकर नहीं बनाने के कारण इन कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। इसी के फलस्वरूप महिला साक्षरता की कमी, कुपोषण, कम उम्र में विवाह, जनसंख्या वृद्धि, अधिक

शिशु मृत्यु दर, महिला उत्पीड़न आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। महिलाओं की इस स्थिति का बुरा प्रभाव हमारी संतति पर भी पड़ रहा है। महिलाओं को सभी विकास प्रवृत्तियों का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए अगले वर्ष सरकार विशेष प्रयास करेगी। सभी विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जाकर उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे। मुझे आशा है कि प्रदेश के सामाजिक विकास की गति बढ़ाने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास होगा।

युवा शक्ति के विकास में खेलों का अपना महत्व है। मुझे खुशी है कि राजस्थान की भील जनजाति के तीरंदाजों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हैं। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक खेल संकुल का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार जयपुर में विद्याधर नगर में 29 एकड़ भूमि पर खेल सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। जोधपुर एवं अजमेर में विशिष्ट परियोजना विकास केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। आगामी वर्ष तक राज्य के सभी जिलों में खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिये जायेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए जोधपुर, अलवर, अजमेर व आबू पर्वत में छात्रावास खोले गए हैं। चित्तौड़गढ़ में एक छात्रावास अगले वर्ष खोला जायेगा।

जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु लघु सिंचाई, कृषि विकास, फल विकास, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, भेड़ विकास, व्यावसायिक शिक्षा आदि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। जनजाति क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तथा नारू रोग उन्मूलन के लिए स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण एवं यूनीसेफ की सहायता से 'स्वच्छ' परियोजना की क्रियान्विति की जा रही है। सरकार यह प्रयास करेगी कि जनजाति विकास का स्वरूप क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा उससे जनजातियों का अधिकाधिक लाभ हो। जनजाति विकास में वन विकास, फल विकास, जलोत्थान सिंचाई, शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तथा नियोजन प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमन्तू जाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है। नियोजन हेतु इनकी दक्षता बढ़ाने के लिए जनजाति क्षेत्रों में एकलव्य योजना एवं अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विकास व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।

अजमेर में सम्पूर्ण साक्षरता के अभिनव प्रयास के अच्छे परिणाम निकले हैं। इससे प्रोत्साहित होकर सरकार ने सीकर, डूंगरपुर व भरतपुर जिलों में साक्षरता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जन सहभागिता के आधार पर 2,001 तक सबको शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर "लोक जुम्बिस" नाम की लगभग 600 करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार व स्वीडन सर-

कार की सहायता से लागू की जा रही है। प्रायोगिक तौर पर इसका कार्य शुरू किया जा चुका है। इस योजना की क्रियान्विति में स्थानीय समुदाय, स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जायेगा तथा ग्राम शिक्षण समितियों का गठन किया जायेगा, ताकि इनके माध्यम से स्थानीय जनसमुदाय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जीवंत भूमिका का निर्वहन कर सके।

साधनहीन परिवारों के छात्र विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें दिन में अपनी आजीविका कमानी पड़ती है। ऐसे छात्रों के लिए बड़े शहरों में विद्यमान राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगात्मक तौर पर सायंकालीन कक्षाएं चलाने की एक योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी।

चिकित्सा सुविधाओं में संख्यात्मक तथा गुणात्मक सुधार करने के विशेष प्रयास किये गये हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि प्रथम बार राज्य में शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय औसत के बराबर आ गई है। पहले राज्य में शिशु-मृत्युदर राष्ट्रीय औसत से अधिक हुआ करती थी। अंधता व एड्स की रोकथाम के लिए विशेष परियोजनाएँ बनाकर सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेगी। निजी क्षेत्र में चिकित्सालय बनाने के लिये भूमि का आवंटन करने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। धर्मार्थ संस्थाओं को भी जांच एवं निदान केन्द्र खोलने व चिकित्सालय स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा ताकि रोगियों को सस्ती एवं अच्छी निदान सुविधा तथा चिकित्सा मिल सके। स्ववित्त पोषण आधार पर वित्तीय संस्थाओं से सहायता लेकर राजकीय चिकित्सालयों में विशिष्ट उपकरण उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जायेगा।

प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये समुचित परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। इसी दृष्टि से योजनाबद्ध रूप से प्रदेश में सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। सर्वाधिक प्राथमिकता 1971 की जनगणना के 1,500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को तथा पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने पर दी गई है। बड़ी नदियों पर पुलों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है। महत्वपूर्ण राजमार्गों के विस्तार, दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण तथा सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण कार्य भी व्यापक तौर पर कराये गये हैं। कृषि मंडियों की आय तथा सड़कों पर योजना में होने वाले विनियोग का सामजस्य बनाकर 1991 की जनगणना के 1,500 की आबादी के गांवों को जोड़ने के लिये पांच वर्ष की योजना बनाई जायेगी।

नगरीय क्षेत्रों में तेजी से आबादी बढ़ने के कारण जन सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नगरपालिकाओं व नगर परिषदों के पास समुचित धनराशि के अभाव के कारण वे स्थानीय विकास के प्रभावी कार्य नहीं कर पाती हैं। विकास कार्यों हेतु नगरपालिकाओं को राज्य सर-

कार द्वारा विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया है। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के कार्य भी राज्य सरकार द्वारा करवाये गये। नगरीय निर्धन एवं साधनहीन व्यक्तियों को नागरिक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई। नगरीय क्षेत्रों में अगले वर्ष तक सभी शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में भी साधनहीन व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सहायता दी जा रही है तथा विकास कार्यक्रमों में रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। सफाई के कार्य के आधुनिकीकरण की योजना भी बनाई गई है ताकि सफाई का कार्य अधिक त्वरता से किया जा सके।

चुंगी कर को समाप्त कर प्रवेश कर लगाने के बारे में मथुरादास माथुर समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन उद्योग में विनियोग करने वाले उद्यमियों के लिये एक प्रोत्साहन पेकेज लागू करने पर विचार किया जा रहा है। पर्यटन विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिये एक महती योजना भारत सरकार को भेजी गई है। राज्य के चार होटल विरासत होटल की संज्ञा से विभूषित किये जा चुके हैं। सरकार विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्पदाओं का होटल के लिये उपयोग करने को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी ताकि एक ओर इनका समुचित रख-रखाव व संरक्षण हो सके तथा दूसरी ओर स्थानीय जनता की आमदनी बढ़ सके। पेईंग गेस्ट योजना अभी तीन शहरों में लागू है। अगले वर्ष इसे 9 अन्य शहरों में भी लागू किया जायेगा। इससे पर्यटकों के लिये 2,500 अतिरिक्त शय्यायें उपलब्ध हो सकेंगी।

राज्य की विकास योजनाओं में गरीबी मिटाने तथा नियोजन के अधिक अवसर उत्पन्न करने पर समुचित ध्यान दिया गया है फिर भी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या जटिल होती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन के समिति अवसरों को देखते हुए अतिरिक्त रोजगार का सृजन, कृषि विकास एवं खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों की स्थापना, सेवा क्षेत्र का विस्तार आदि के द्वारा ही किया जा सकता है। बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने एवं आर्थिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिये गठित वी. एस. व्यास समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस प्रतिवेदन पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों के सुझावों से सरकार लाभान्वित होगी।

चालू वर्ष में 100 ग्राम, 500 ढाणियां/मजरे व 1,000 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। समस्या प्रधान शेष सभी राजस्व गांवों को अगले दो वर्षों में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा। जोधपुर लिफ्ट योजना व बीसलपुर का निर्माण कार्य तेजी से कराया

जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष हुई वर्षा की कमी को देखते हुए तथा गर्मी में आने वाली समस्या को ध्यान में रखकर अग्रिम तौर पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। हैण्डपम्प व अन्य योजनाओं के संधारण हेतु दो माह का सघन अभियान 1 फरवरी, 1992 से शुरू कर दिया गया है।

विभागीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष बनाए जाने वाले 3,000 हैण्ड पम्प्स के अतिरिक्त 2,000 और हैण्डपम्प्स तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्यूबवैल बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक बोर्ड तथा वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर उन्हें सक्रिय बनाया है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। सरकार के विशेष प्रयास से पहली बार प्रदेश से हज यात्रा के इच्छुक सभी व्यक्तियों को मक्का व मदीना की पवित्र यात्रा पर भेजा जाना संभव हो सका है।

श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के आपसी औद्योगिक विवादों को तेजी से निपटाने के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में चालू वर्ष में हड़ताल, तालाबन्दी व मानव नियोजन दिवसों की क्षति में काफी कमी हुई। प्रदेश में व्याप्त औद्योगिक शांति के वातावरण से नए उद्यमी राजस्थान की ओर अधिक आकर्षित होने लगे हैं।

देवस्थानों के योजनाबद्ध विकास तथा संरक्षण के लिये सरकार एक देवस्थान बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड के माध्यम से जनसामान्य, धर्मार्थ संस्थाओं व उद्यमियों का सहयोग लेकर देवालियों व अन्य धार्मिक स्थानों के विकास का कार्य करेगी।

बढ़ती जनसंख्या सबके लिए चिन्ता का विषय है। इसका प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पिछले चार दशकों में सरकार द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण के लिए किए गए प्रयास विशेष प्रभावी नहीं हुए हैं। सरकार इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए विचार कर रही है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी इस बारे में अपने सुझाव देकर सरकार को लाभान्वित करें।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पुनर्लेखन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। यह कार्य पूरा होने पर सरकार अगले वित्तीय वर्ष में नए सिरे से विधेयक प्रस्तुत करने पर विचार करेगी। कृषि भूमियों के अपखंडन पर लगे प्रतिबन्ध से किसानों को परेशानी होती है। अतः कृषि भूमि के अपखंड पर लगाई हुई रोक को पूर्ण रूप से हटाने पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार जैसलमेर जिले में स्थित इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में किसानों को खातेदारी अधिकार देने के लिए सरकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 ए ए ए में संशोधन करेगी। भूतपूर्व जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि में उप कृषकों को खातेदारी अधिकार देने की समयावधि बढ़ाये जाने के लिए भी कानून में संशोधन किया जायेगा।

गांवों में पिछले वर्षों में गोचर एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर

अतिक्रमण करने की प्रवृति बढ़ी है। ऐसे अतिक्रमणों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन कर कारावास की सजा का प्रावधान करने पर विचार किया जा रहा है।

पास बुकों के होते हुए भी किसानों को भू-राजस्व अभिलेख की नकलें लेने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है और उन्हें पास बुक व्यवस्था का वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। पास बुक को ही विधिमान्य अधिकार भू-अभिलेख बनाने के लिए कानून में यथा वांछित संशोधन करने पर भी सरकार विचार करेगी। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमियों के हस्तांतरण पर लगी रोक के बावजूद किसानों द्वारा हस्तान्तरित की गई भूमियों के नियमनकरण हेतु किसानों को एक अवसर और दिया जायेगा इसके लिए कानून में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

प्रशासन को जनता के और समीप लाने के लिए पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। विभिन्न राजनैतिक दलों से हुई वार्ता में बनी सहमति के आधार पर जिलाधीशों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रकाशन कर आपत्तियां आमन्त्रित की जा रही हैं। इन आपत्तियों को निपटाने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन का कार्य आयोग द्वारा पूरा किया जाने के बाद सरकार द्वारा प्राथमिकता से पंचायतों के चुनाव करा दिये जायेंगे।

निजी क्षेत्र का प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा औद्योगिक विकास में और भी अधिक प्रभावी योगदान हो सकता है। सरकार इस दिशा में आने वाले वर्तमान गतिरोधों की समीक्षा कर उन्हें दूर करेगी ताकि निजी क्षेत्र प्रदेश में विनियोग बढ़ाकर नियोजन के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करा सके तथा प्रदेश के विकास में और अधिक सहयोग दे सके। निजी क्षेत्र को राज्य के विकास में अधिक अवसर देने के बारे में माननीय सदस्यों के सुझावों का सरकार स्वागत करेगी।

आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। बढ़ती आबादी, फिजूलखर्ची, केन्द्र व राज्य सरकारों के बढ़ते आवर्तक व्यय, घाटे की अर्थव्यवस्था, उत्पादन में धीमी वृद्धि आदि कारणों से मूल्यवृद्धि होती है। मूल्यों में वृद्धि को रोकना राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए बिना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए छापे मारे गये हैं तथा जांचें करवाई गई हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सभी जिलों में जिला उपभोक्ता मंचों का गठन किया गया व सात पूर्णकालिक न्यायालय स्थापित किये गये।

प्रधान मंत्रीजी द्वारा पहली जनवरी, 92 को बाड़मेर में की गई घोषणा के अनुसार जनजाति बाहुल्य, सूखा संभावित तथा रेगिस्तान क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त दुकानें खोलने व इन दुकानों पर गेहूं, चावल, शक्कर एवं केरोसीन के अलावा अन्य उपभोक्ता सामग्री वितरण की व्यवस्था की जायेगी। भारत

सरकार ने पिछले 6 माह में गेहूं का आवंटन कम कर दिया है। उन्हें गेहूं का कोटा बढ़ाने तथा 1991 की जनसंख्या के आधार पर गेहूं व चीनी का आवंटन करने का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

जनता को आसानी से न्याय मिल सके इसके लिये 11 नये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, 28 मुंसिफ न्यायालय तथा 6 विशेष न्यायालय खोले गये। 18 न्यायालयों को क्रमोन्नत किया गया। विभिन्न विभागों के लिये बनाये गये कानूनों में बार-बार संशोधन होने से जटिलता उत्पन्न हो गई हैं। बदलती परिस्थितियों में इनकी समीक्षा करना आवश्यक है। इस कार्य को करने के लिये सरकार द्वारा राज्य स्तर पर विधि आयोग की स्थापना की जा रही है।

राज्य के विकास के लिये वित्तीय साधन जुटाने में अल्प बचत का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न आकर्षक योजनाओं के माध्यम से जनसामान्य को अल्प बचत के लिये प्रेरित करने में राजस्थान की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। अल्प बचत में जमा राशि का तीन-चौथाई भाग राज्य को वापस लम्बी अवधि के ऋण के रूप में उपलब्ध होता है। अल्प बचत के लिये चालू वर्ष में 274 करोड़ रुपये का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत म्युच्यूल फन्ड्स योजनाएं तथा जीवन बीमा निगम, एच. डी. एफ. सी. आदि की योजनाओं में अधिक ब्याज मिलने के कारण अल्प बचत योजनाओं में विनियोजन घटा है। सरकार ने इस बारे में अपनी चिन्ता से भारत सरकार को अवगत कराया है तथा आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अल्प बचत के माध्यम से विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने में वे अपना योगदान दें।

माननीय सदस्यगण,

इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे :—

1 राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992

2 श्री सांवलिया जी मन्दिर विधेयक, 1992

3 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992

4 नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992

5 राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992

6 राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोभन) विधेयक, 1992

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा देने तथा गति प्रदान करने की आशा लिये इस प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है। जनता की अभिलाषाओं के अनुरूप आपको मिल-जुलकर प्रदेश के विकास के लिये कार्य

करना है। मैत्री तथा सहयोग की भावना से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का लक्ष्य संगठित प्रयास करने की कामना को प्रकट करते हुए हमारे वैदिक ऋषियों ने जन प्रतिनिधियों का निम्न शब्दों में आह्वान किया था —

आ यद् वामीय यक्षसा मिक्षा वयं च सूरयः।
व्यच्छिठे बहुपा ये यतेमहि स्वराज्ये ॥

(ऋग्वेद)

(आओ हम सब समान और निष्पक्ष दृष्टि रखते हुए सौहार्द और विवेक के साथ बहुमत पर आधारित इस स्वराज्य को सुदृढ़ करने में जुट जाएं।)

इन्ही स्वरों में अपने स्वर मिलाते हुए मैं कामना करता हूं कि आप विधायक के पुनीत कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जन-मानस की अभिलाषाओं की पूर्ति में प्रभावी भूमिका निभायें।

जय हिन्द।

———